बिहार विधान सभा वादवृत्त

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में मंगलवार, तिथि ९ मार्च, १९५४, को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचनाप्रश्नोत्तर

Short Notice Questions and Answers.

LOCATION OF SMELTER.

102. **Shri CHANDER SHEKHAR SINGH** : Will the Minister, Industries Department, be pleased to state—

(*a*) whether the Government of Bihar are aware of the fact that the question of location of smelter for production of aluminium metal is under the consideration of the Government of India;

(*b*) whether the State Government has placed before the Government of India the desirability of locating this plant at Muri;

(*c*) if the answer be in the affirmative, the Central Government's reaction to the State Government's proposal?

Shri MAHESH PRASAD SINHA : (*a*) The answer is in the affirmative.

(*b*) The answer is in the affirmative.

(*c*) The Central Government have not yet given their reaction to the proposal of the State Government.

Shri CHANDRA SHEKHAR SINGH : Is it a fact that a new plant for production of ten thousand tons of smelter for production of aluminium metal is proposed to be set up at Hirakund?

Shri MAHESH PRASAD SINHA : Yes, it is a fact.

Shri CHANDRA SHEKHAR SINGH : Is it a fact that locating the plant at Hirakund would mean an increase in the cost of transport of the raw materials?

Shri MAHESH PRASAD SINHA : Of course that was considered by the Central Government. It was not considered by us and I am not in a position to inform the House whether this particular point was taken in to consideration.

Shri CHANDRA SHEKHAR SINGH : Is it a fact that compared with Muri the total increase in the cost of production of Aluminium would be to the extent of Rs. 70 per ton?

श्री महेश प्रसाद सिंह—हमलोगों ने अपने मेमोरेंडम में इसको बतलाया था कि किस तरह से यहां लोकेट करने में चीपर होगा। लेकिन केन्द्रीय सरकार के एक्सपर्ट ने इस चीज को नहीं माना और वे प्लेंट को हीराकुण्ड में ले गये।

श्री महेश प्रसाद सिंह—अभी नहीं मिला है। सरकारी कम्युनिकेशन अभी नहीं हुआ है।

श्री रामलखन सिंह यादव—क्या बिहार सरकार यह विचार करती है या नहीं कि वह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को बाजाप्ते चिट्ठी लिखे कि हमारे मेमोरेन्डम पर जो विचार हुआ और एक्सपर्ट कमिटी की जो रिपोर्ट हुई और इसको बाद जो फैसला हुआ उसे जल्द बिहार सरकार के पास भेज दे?

श्री महेश प्रसाद सिंह—हम लोग सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को प्रार्थना करेंगे कि फैसला जल्द बाजाप्ते हम लोगों के पास भेज दिया जाय।

श्री रामलखन सिंह यादव—सरकार इस बात को महसूस करती है या नहीं कि जिस तरह से उससे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने डिसीशन लिया है उससे बिहार के लोगों में आमतौर पर यह धारणा हो गई है कि बिहार का केस अच्छी तरह पेश नहीं किया गया है इसलिये जो निर्णय है उसको हाउस के मेम्बरों में सर्कुलेट कर दें?

अध्यक्ष—आफीशियली जब खबर आ जायेगी तो हाउस के सामने सवाल के जवाब में रख दी जायेगी।

श्री योगेश्वर घोष—क्या सरकार अपना स्मृतिपत्र और निर्णय दोनों की प्रति सदन के सामने उपस्थित करेगी?

अध्यक्ष—रिपोर्ट तो अभी सरकार के पास आई नहीं है।

श्री योगेश्वर घोष—स्मृतिपत्र जो भेजा गया था वह तो होगा?

अध्यक्ष—केन्द्रीय सरकार से पत्र-व्यवहार करके जब फैसला आ जायेगा तो वह आपके सामने रख दिया जाय यह एक बात मुनासिब है लेकिन अभी तो निर्णय के कम्युनिकेट करने का सवाल पूछेंगे तो जवाब यही मिलेगा कि बाजाप्ते फैसला अभी नहीं आया है। इस लिये यह सवाल नहीं उठता है।

INSPECTION OF CO-OPERATIVE STORE.

*132. Shri RASH BIHARI LAL: Will the Minister, for Co-operative Department, be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Co-operative Store of Sitamarhi was inspected by Mr. Abbas, an officer of the Bihar Government, and a huge amount of money was then found to have been defalcated, if so, what action Government have taken to recoup that amount;

*In absence of the member, answer was given at the request of Shri Purushottam Chouhan.

(*b*) who is the Chairman of the said Co-operative Store;

(*c*) whether the accounts of this Store were audited by any auditor and whether the Government will place the audit report on the table;

(*d*) whether it is a fact that Mr. Abbas also made certain observations regarding the illegalities and irregularities committed by the Chairman of the said Store; if so, what are the subjects to which the report relates;

(*e*) whether it is a fact that the enquiry was conducted at Muzaffarpur and not at Sitamarhi at the instance of the Chairman and whether it was due to the fact that he was afraid of the exposure and hence he made the request to the Commissioner to hold enquiry at Muzaffarpur?

Shri DIPNARAIN SINGH : (*a*) Mr. S. A. F. Abbas examined the working of the Sitamarhi Co-operative Union. No case of defalcation was reported by him. On the basis of Audit Report, surcharge proceedings under Co-operative Societies Act were drawn up and orders of surcharge have been passed by the Registrar, Co-operative Societies against which an appeal has been filed under the Act. The whole case is now *sub judice* therefore it would not be possible for me to go into the further details.

(*b*) Thakur Jugalkishore Sinha is the Chairman of the Union.

(*c*) The reply to the first part is in affirmative. The report is under active examination of the Department. Therefore, it is not proposed to place the report on the table at this stage.

(*d*) The report covers the whole field of the activities of the Union and is of confidential nature.

(*e*) So far as the enquiry conducted by Mr. Abbas is concerned it was held at Patna as it was considered unnecessary to go to Sitamarhi for the purpose. So far as the spot at which enquiry conducted by the Commissioner of Muzaffarpur is concerned, the information is not available at this time.

श्री जगन्नाथ सिंह—मैं यह जानना चाहता हूं कि सरचार्ज कितने रुपये का था?

श्री दीपनारायण सिंह—सही खबर तो देना अभी मुश्किल है लेकिन अन्दाज है कि करीब ७ हजार रुपये का सरचार्ज है।

श्री जगन्नाथ सिंह—मैं यह जानना चहाता हूं कि अपील किसके यहां दाखिल होगी, अदालत में या कोपरेटिव के मुहकमे में?

अध्यक्ष—सरचार्ज के मुतल्लिक जो ऐक्ट है उसी के मुताबिक गवर्नमेन्ट के यहां अपील होगी।

Shri JAGANNATH SINGH : I want an authoritative reply from the Hon'ble Minister.

SPEAKER : Authoritative reply may be given by the Hon'ble Minister.

Shri DIPNARAIN SINGH : The appeal is with the Government and under the Co-operative Act, the whole proceedings are treated as if they were in any court of law. Therefore unless the case is disposed of, this case is treated as *sub judice*.

Shri JAGANNATH SINGH : How can any appeal before the Government be treated as *sub judice* ? The case is not before the judiciary.

Shri DIPNARAIN SINGH : The Registrar is the Court for the purpose of of surcharge coming under the Bihar and Orissa Co-operative Societies Act, therefore any matter pending before him is *sub judice*.

Shri JAGANNATH SINGH : I would like to know whether the appeal has been preferred before the Registrar or before the Government. There is confusion in the answer given by the Government.

Shri DIPNARAIN SINGH : May I explain Sir ? So far as the surcharge proceedings are concerned under the Act of the Co-operative Societies, the Registrar is treated as a court and any appeal against the order of Assistant-Registrar, to the Registrar is treated as an appeal to a court. This is a fact that the appeal lies before the Government, but so far as the appeal is concerned that would be treated as an appeal to court against the decision of a lower court.

Shri JAGANNATH SINGH : I would like to know what was the gist of the observations regarding the illegalities and irregularities committed by the Chairman of the Store.

SPEAKER : The answer has already been given. The Minister says that he is not in a position to give the answer.

Shri JAGANNATH SINGH : I would like to know whether it is not in the interest of the public to disclose to the House the facts about the defalcation of about Rs. 7,000.

SPEAKER : It has been said that there were irregularities and it would not be in public interest to disclose the details about it.

Shri JAGANNATH SINGH: Are Government aware of the fact that there may be some misunderstanding if the House is not taken into confidence regarding such an important matter?

SPEAKER: This question does not arise.

Shri BINODANAND JHA: Sir, I would like to have an elucidation on the point of Hon'ble Minister's reply regarding the function of the Registrar as a Court.

SPEAKER: That was only by the way.

Shri BINODANAND JHA: It is a very dangerous proposition.

SPEAKER: That was only by the way. The Minister has already said that the appeal lies with the Government and not with the Registrar.

Shri BINODANAND JHA: It is not a proceeding similar to that of a court. I want to put one question in this regard.

SPEAKER: The word *'sub judice'* when used in a literal sense would be before a co rt of law and that is how I understand it when I decide question. But here the word *'sub judice'* has been used in the sense that it is pending consideration.

Shri RAMCHARITRA SINHA: No, the Registrar is a court and a Registrar acts as a court.

Shri BINODANAND JHA: If you permit me, Sir, I want to put two questions which will clarify the whole position. My first question is whether the Registrar is protected by the Judicial Officers Protection Act and the second question is whether the proceedings before a Registrar are started on oath.

SPEAKER: I do not like to enter into the question of law. But if the hon'ble member would like to press the point he may formulate his question and I would then refer the question to the Advocate-General for his opinion.

Shri BINODANAND JHA: I think the Hon'ble Minister will be able to explain on the lines of the question put by me.

SPEAKER: I have already said that the question may be formulated and forwarded to me and I would forward it to Advocate-General for his opinion and if I find it necessary, that opinion will be placed before the House.

Shri BINODANAND JHA: Let me make my submission to you, Sir. I hope, you wanted not to rule out the question on the ground of *sub judice* as given in the Rules of Business of the Assembly.

SPEAKER: I can not give any assurance but I shall consider.

Shri PURUSHOTTAM CHOUHAN: Will the Hon'ble Minister be pleased to state whether Mr Abbas, who investigated this case, is going to be transferred?

SPEAKER: How does this question arise?

श्री रामलखन सिंह यादव—क्या सरकार बतायगी कि इस सात हजार के सरचार्ज के अलावे टोटल एमाउन्ट ऑफ ओबजेक्शन कितना है।

श्री दीपनारायण सिंह—मैंने यह बताया कि सही रकम मैं नहीं बता सकता हूं लेकिन अन्दाज से बताया है कि सात हजार रुपये के बारे में सरचार्ज है।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं कि सात हजार के अलावा और क्या है?

श्री दीप नारायण सिंह—इसके लिए अगर नोटिस दी जाय तो मैं बता सकता हूं।

श्री रामलखन सिंह यादव—क्या सरकार को मालूम है कि टोटल एमाउन्ट में जिस पर ओडिटर ने ओबजेक्शन किया है उसमें एलेक्शन में जीप के व्यवहार करने तथा लाउड स्पीकर के व्यवहार करने का भी आरोप है।

श्री दीप नारायण सिंह—सरकार के पास इसकी भी जनकारी नहीं है।

श्री रामलखन सिंह यादव—क्या अब्बास साहब की रिपोर्ट सरकार हाउस के सामने रखेगी जिससे हाउस को मालूम हो जाये।

अध्यक्ष—गवर्नमेन्ट की रिपोर्ट फाइनलाइज नहीं हुई है इसलिए सरकार नहीं रखना चाहती है। अब्बास साहब की रिपोर्ट के बारे में मंत्री महोदय का कोई जवाब नहीं है।

श्री दीप नारायण सिंह—सवाल में दो बातें हैं एक यह कि अब्बास साहब की रिपोर्ट में कितने रकम का डिफल्केशन हुआ, यह है या नहीं, इसके बारे में रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है।

अध्यक्ष—हम लोगों ने जवाब सुना। उनका कहना है कि जो रिपोर्ट है उसको आप सदन में रक्खें।

श्री दीप नारायण सिंह—इसके बारे में मेरा कहना है कि रिपोर्ट कन्फीडेन्सल है।

श्री दारोगा प्रसाद यादव—कोआपरेटिव मिनिस्टर ने कहा कि आडिटर की जो रिपोर्ट है वह सरकार के विचाराधीन है। यह दूसरी चीज है। लेकिन वह जैसा है उसको मेज पर रखने में क्या दिक्कत है। क्या कोई कानूनी कठिनाई है?

SPEAKER: The report of the Auditor is not yet final and, therefore, at this stage the Minister is not in a position to place it before

the House. So far as the report of Mr. Abbas is concerned, the Minister is not going to place it before the House in public interest as he says.

श्री रामलखन सिंह यादव—क्या यह बात सही है कि आडिटर की रिपोर्ट को बदलवाने की कोशिश की जा रही है ?

अध्यक्ष—यह सवाल नहीं उठता है।

श्री रामलखन सिंह यादव—आडिटर की रिपोर्ट का जहां तक सवाल है वह रिपोर्ट फाइनल है। उस पर क्या-क्या ऐक्शन हुआ है ? वह हाउस में रक्खा जा सकता है। ऐसा करने में क्या दिक्कत है ?

श्री दीप नारायण सिंह—आडिटर की रिपोर्ट के संबंध में मैं दो शब्द कह देना चाहता हूं। जब कोआपरेटिव सोसाइटी का हिसाब औडिट होता है तो औडिटर रिपोर्ट भेजता है। वह रिपोर्ट फिर सोसाइटी के पास जाती है उसमें देखने के लिये कि उसके संबंध में सोसाइटी को क्या कहना है। कभी-कभी ऐसा होता है कि रिपोर्ट में जो बातें लिखी जाती हैं उसके बारे जब सोसाइटी का एक्सप्लेनेशन आता है तो उसमें कुछ तरमीम होती है या वह एक्सप्लेनेशन मान लिया जाता है। इस तरह जब तक सोसाइटी का एक्सप्लनेशन नहीं आ जाय तब तक उस रिपोर्ट को फाइनल मानना वाजिब नहीं है।

अध्यक्ष—फिर अपील में क्या है ?

श्री दीप नारायण सिंह—औडिट में बहुत बातें हैं। कुछ बातों के बारे में डिपार्टमेन्ट कैफियत मांगती है। कैफियत आने के बाद उसमें जो कारवाई होनी चाहिये वह होती है। जो रिपोर्ट मांगी गयी है वह समूची रिपोर्ट बहुत बड़ी है।

अध्यक्ष—बड़ी होने से कोई मतलब नहीं है। आडिटर की रिपोर्ट के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वह है जिसमें आडिटर का जो अफसर हों या वही हो, उसपर फिर से विचार करने का मौका है और उसमें कुछ बदल सकते हैं। उनको समझाया जा सकता है कि वह अपनी रिपोर्ट बदल दें और दूसरा हिस्सा वह है जिस पर डिपार्टमेन्ट ने काम करना शुरू कर दिया है। मैं ऐसा समझ सकता हूं ?

श्री दीप नारायण सिंह—हां, समझ सकते हैं।

रामलखन सिंह यादव—क्या यह बात सरकार को मालूम है कि सीतामढ़ी कोआपरेटिव सोसाइटी में इतना बड़ी रकम की गड़बड़ी होने के कारण और सरकार की ढिलाई के कारण सारे सूबे के कोआपरेटिव सोसाइटियों में गड़बड़ी पैदा हो गयी है ?

श्री दीप नारायण सिंह—सरकार को इस बात की कोई खबर ही नहीं है कि सारे सूबे के कोआपरेटिव मूवमेन्ट के काम में ढिलाई हो गयी है।

श्री रामलखन सिंह यादव—क्या यह बात सरकार को मालूम है कि चूंकि इसमें एक एम० पी० भी इनवल्वड् हैं और सरकार इस कोआपरेटिव सोसाइटी के साथ कोआपरेट नहीं कर रही है जिसके चलते और जगह गड़बड़ी पैदा हो गयी है?

अध्यक्ष—इस सावल को हम नामंजूर करते हैं।

पशुपालन विभाग के डाक्टरों के वेतन पर विचार।

१३५। श्री रामसुन्दर तिवारी—क्या मंत्री, विकास (पशुपालन विभाग), यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि बिहार वेटेरीनरी कालेज के विद्यार्थियों ने २८ फरवरी १९५४ को एक मिटिंग की जिसमें बी० बी० एस० सी० ए० एच० में उत्तीर्ण छात्रों ने अपने वेतन के स्केल के संबंध में क्षोभ प्रकट किया है;

(ख) क्या यह बात सही है कि बिहार के अलावे अन्य सूबे (जैसे यू० पी० काश्मीर, हैदराबाद, उड़ीसा, बंगाल, आदि) में बिहार से अधिक वेतन मिलता है;

(ग) क्या यह बात सही है कि वेटेरीनरी कालेज के विद्यार्थियों ने इस संबंध में एक मेमोरेंडम दाखिल किया है;

(घ) क्या यह बात सही है कि वेतन कम होने से बिहार वेटेरीनरी कालेज से उत्तीर्ण डाक्टर दूसरे राज्य में चले जाते हैं;

(ङ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर हां में है तो सरकार इस संबंध में कौन-सी कार्रवाई करने जा रही है?

श्री दीपनारायण सिंह—(क) उत्तर स्वीकारात्मक है लेकिन मिटिंग की तिथि २० फरवरी, १९५४ थी।

(ख) उत्तर प्रदेश, काश्मीर और उड़ीसा के संबंध में उत्तर स्वीकारात्मक है। हैदराबाद एवं बंगाल के संबंध में सरकार को सूचना प्राप्त नहीं है।

(ग) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(घ) १४ बिहारी डिग्री प्राप्त करने वालों में से यह जान पड़ता है कि तीन उत्तर प्रदेश चले गये हैं।

(ङ) वेतन स्तर बढ़ाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री दारोगा प्रसाद राय—क्या माननीय मंत्री, पशु पालन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वेटेरीनरी कालेज से जो लोग डिप्लोमा और डिग्री पास करते हैं तो दोनों को एक ही वेतन-क्रम दिया जाता है?

श्री दीपनारायण सिंह—यह सावल नहीं उठता है।

अध्यक्ष—यह तो वेतन के बारे में है।